मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना

की

विवरणिका–सह–मार्गदर्शिका

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार, पटना

बिहार

पश्चिमी चम्पारण
पूर्वी चम्पारण
शिवहर
सीतामढ़ी
मधुबनी
सुपोल
अररिया
किशनगंज
गोपालगंज
सीवान
मुजफ्फरपुर
दरभंगा
मधेपुरा
पूर्णिया
सारण
वैशाली
समस्तीपुर
सहरसा
कटिहार
बक्सर
भोजपुर
पटना
बेगूसराय
खगड़िया
कैमूर
रोहतास
अरवल
जहानाबाद
नालन्दा
शेखपुरा
लखीसराय
मुंगेर
भागलपुर
औरंगाबाद
गया
नवादा
जमुई
बांका

प्रस्तावना

शहरें राज्य के आर्थिक विकास में अहम भूमिका अदा करते हैं। उन्नत शहर राज्य के आर्थिक विकास का पैमाना होते हैं। नगरो, शहरों एवं कसबों की सुदृढ़ बुनियादी आधारभूत संरचनाएँ एवं सेवाएँ न सिर्फ शहरों के सौन्दर्यीकरण में अभिवृद्धि करती हैं, अपितु स्वस्थ मानव संसाधन के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विकसित शहरी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाकर आर्थिक, समाजिक एवं राजनैतिक परिवर्तन का कारक बनती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि शहरों का योजनाबद्ध तरीके से विकास हो तथा विकास के सभी कारको को एक साथ मिलाकर उनका कार्यान्वयन कराया जाय।

शहरों के विकास हेतु 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को व्यापक अधिकार एवं दायित्व प्रदान किए गए हैं। शहरों के चतुर्दिक विकास हेतु राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलायी जा रही हैं, जो दीर्घकालीन असर वाली है। शहरों के सर्वांगीण एवं त्वरित विकास हेतु एक नई योजना की परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है; जिसके अन्तर्गत जल निकासी सहित चौड़ी, सुदृढ़, गुणवत्ता युक्त सड़कों का निर्माण/जीर्णोद्धार तथा पार्कों, घाटों, जलाशयों इत्यादि का एक साथ प्रावधान किया गया है। इस योजना को *मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना* के नाम से वित्तीय वर्ष 2008–09 से नगर विकास एवं आवास विभागीय संकल्प संख्या–2375 दि0–12.05.08 द्वारा प्रारम्भ किया गया है। योजना के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर शहरी अभियंत्रण कोषांग का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस योजना के अन्तर्गत 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। आशा है इस योजना के कार्यान्वयन से शहरों का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा एवं राज्य की जनता की अपेक्षायें पूरी हो सकेगी।

मंत्री,
नगर विकास एवं आवास विभाग

अनुक्रमणिका

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ सं०
1	नगर विकास एवं आवास विभाग का प्रशासनिक ढांचा	3
2	राज्य में नगर निकायों की स्थिति	3
3	प्रमंडलवार नगर निकायों की सूची	4–7
4	मुख्यमंत्री समेकित शहरी योजना की विशेषतायें	8–11
5	मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना संबंधी संकल्प	12–17
6	अभियंत्रण कोषांग गठन संबंधी संकल्प	18–20
7	वित्तीय वर्ष 2008–09 में जिलावार विमुक्त राशि का राज्यादेश	21–23
8	20सूत्री कार्यक्रम के जिला कार्यान्वयन के जिला प्रभारी माननीय मंत्रियों/राज्यमंत्रियों की सूची	24–26
9	जिला में अवस्थित नगर निकायों के मेयर/अध्यक्ष/सभापति में से चक्रीय पद्धति से एक को आमंत्रित सदस्य के रूप में सरकार द्वारा मनोनयन सूची	27
10	शहरी गरीबी निवारण निदेशालय/बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा)/जिला शहरी विकास अभिकरण (डुडा) से संबंधित संकल्प संख्या–51 दिनांक–15.03.91	28–32

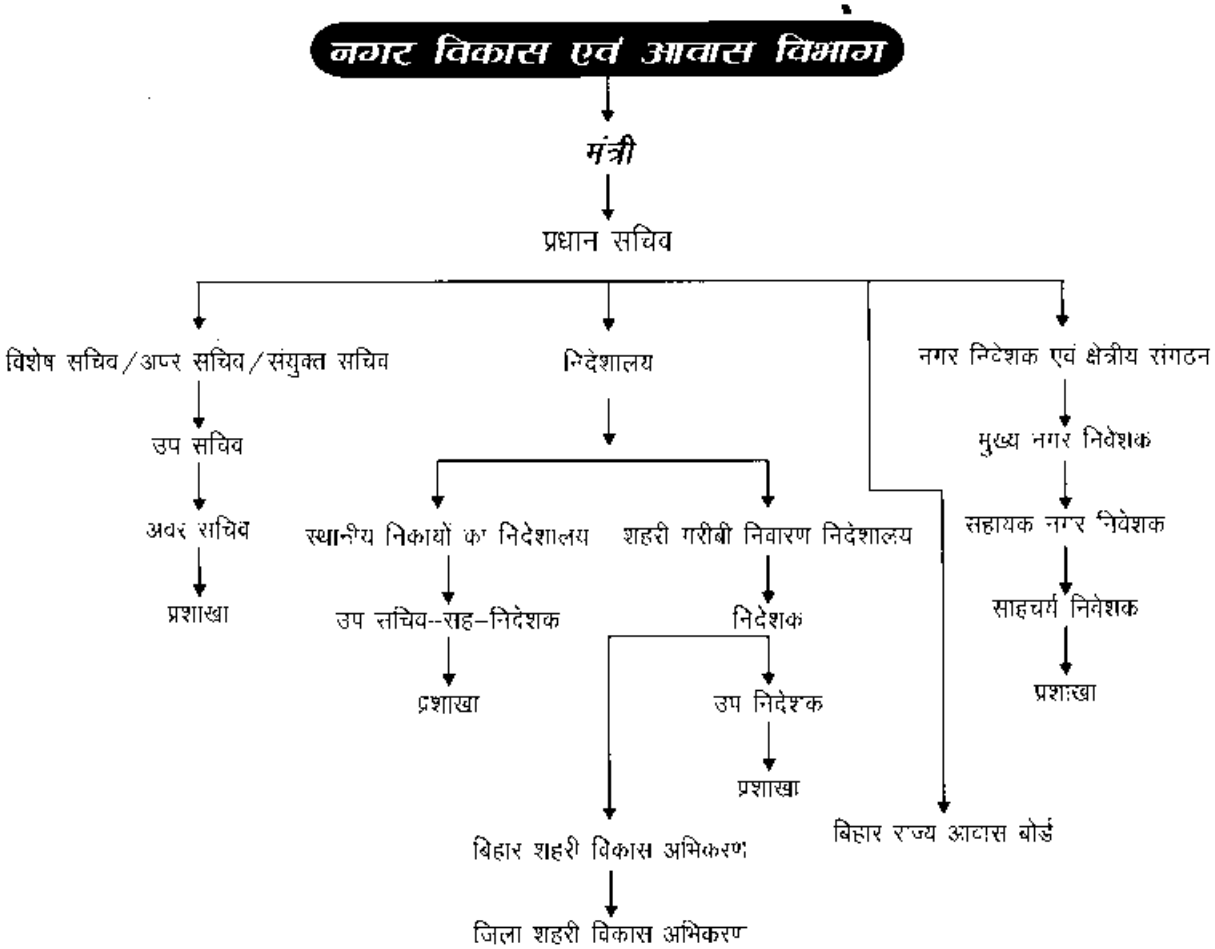

बिहार राज्यान्तर्गत नगर निकायों की स्थिति

बिहार राज्य में नगर निकायों की कुल संख्या	–	124
नगर निगम	–	7
नगर परिषद्	–	42
नगर पंचायत	–	75
कुल जनसंख्या	–	***8564447***

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

क्र.सं.	प्रमंडल	जिला का नाम	निकाय का नाम		जनसंख्या	वार्डों की संख्या
1		पटना	नगर निगम	पटना नगर निगम	1366444	72
2			नगर परिषद्	बाढ़	48442	27
3				खगौल	48306	27
4				दानापुर	131176	40
5				मोकामा	56615	28
6				मसौढ़ी	45248	26
7				फुलवारीशरीफ	53451	28
8			नगर पंचायत	खुशरूपुर	12204	10
9				फतुहा	38672	23
10				मनेर	30082	19
11				बख्तियारपुर	32293	20
12		नालंदा	नगर निगम	बिहारशरीफ नगर निगम	232071	46
13			नगर पंचायत	राजगीर	29900	19
14				हिलसा	37775	23
15	पटना			इस्लामपुर	29868	19
16				सिलाव	20177	14
17		भोजपुर	नगर निगम	आरा नगर निगम	203380	45
18			नगर पंचायत	पीरो	25811	17
19				कोईलवर	19928	14
20				जगदीशपुर	28085	18
21				शाहपुर	14469	11
22				बिहिया	20741	14
23		बक्सर	नगर परिषद्	बक्सर	83168	34
24				डुमरांव	45806	26

क्र.सं.	प्रमंडल	जिला का नाम	निकाय का नाम		जनसंख्या	वार्डों की संख्या
25		रोहतास	नगर परिषद्	सासाराम	131172	40
26				डिहरी डालमियानगर	119097	39
27			नगर पंचायत	नासरीगंज	20826	14
28				विक्रमगंज	38408	23
29				कोचाथ	15815	12
30				नोखा	22354	15
31		कैमूर	नगर परिषद्	भभुआ	41775	25
32	मगध	गया	नगर निगम	गया नगर निगम	389192	53
33			नगर पंचायत	बोधगया	30857	19
34				शेरघाटी	32526	20
35				टिकारी	17621	13
36		जहानाबाद	नगर परिषद्	जहानाबाद	81503	33
37			नगर पंचायत	मुखदुमपुर	30109	19
38		नवादा	नगर परिषद्	नवादा	81891	33
39			नगर पंचायत	वारसलीगंज	31347	20
40				हिसुआ	25205	17
41		औरंगाबाद	नगर परिषद्	औरंगाबाद	79393	33
42			नगर पंचायत	रफीगंज	24992	16
43				नबीनगर	19050	14
44				दाउदनगर	38014	23
45	मुंगेर	मुंगेर	नगर परिषद्	मुंगेर	188050	45
46				जमालपुर	96983	36
47			नगर पंचायत	हवेली खड़गपुर	27075	18
48		लखीसराय	नगर परिषद्	लखीसराय	77875	33
49			नगर पंचायत	बड़हिया	39865	24
50		शेखपुरा	नगर परिषद्	शेखपुरा	50887	27
51			नगर पंचायत	बरबीघा	38200	23
52		जमुई	नगर परिषद्	जमुई	66797	30
53			नगर पंचायत	झाझा	36447	22
54		खगड़िया	नगर परिषद्	खगड़िया	45221	26
55			नगर पंचायत	गोगरीजमालपुर	31106	20
56		बेगुसराय	नगर परिषद्	बेगुसराय	93741	36

क्र.सं.	प्रमंडल	जिला का नाम	निकाय का नाम		जनसंख्या	वार्डों की संख्या
57	भागलपुर	भागलपुर	नगर निगम	भागलपुर नगर निगम	340767	51
58			नगर परिषद्	सुल्तानगंज	41958	25
59			नगर पंचायत	नवगछिया	38287	23
60				कहलगांव	26297	17
61		बांका	नगर पंचायत	बांका	35455	22
62				अमरपुर	20965	14
63	सारण	सारण	नगर परिषद्	छपरा	179190	44
64			नगर पंचायत	सोनपुर	33490	21
65				दिघवारा	27367	18
66				मढ़ौरा	24548	16
67				रिविलगंज	34042	21
68		सिवान	नगर परिषद्	सिवान	109919	38
69			नगर पंचायत	मैरवा	17828	13
70				महाराजगंज	20860	14
71		गोपालगंज	नगर परिषद्	गोपालगंज	54449	28
72			नगर पंचायत	गीरगंज	23576	16
73				बरौली	34653	21
74				कटैया	17912	13
75	तिरहुत	मुजफ्फरपुर	नगर निगम	मुजफ्फरपुर नगर निगम	305525	49
76			नगर पंचायत	कांटी	20871	14
77				मोतीपुर	21957	15
78				साहेबगंज	17238	13
79		सीतामढ़ी	नगर परिषद्	सीतामढ़ी	56766	28
80			नगर पंचायत	बैरगनिया	34836	21
81				डुमरा	14535	11
82				बेलसण्ड	17840	13
83				जनकपुर रोड	13358	11
84		शिवहर	नगर पंचायत	शिवहर	21262	15
85		वैशाली	नगर परिषद्	हाजीपुर	119412	39
86			नगर पंचायत	लालगंज	29873	19
87				महनार	37317	23

क्र.सं.	प्रमंडल	जिला का नाम	निकाय का नाम		जनसंख्या	वार्डों की संख्या
88		पूर्वी चम्पारण	नगर परिषद्	मोतिहारी	108428	38
89				रक्सौल	41610	25
90			नगर पंचायत	चकिया	16628	12
91				सुगौली	31432	20
92				ढाका	32632	20
93				अरेराज	20356	14
94				केसरिया	14589	11
95		पश्चिमी चम्पारण	नगर परिषद्	बेतिया	116670	39
96				बगहा	91467	35
97				नरकटियागंज	40830	25
98			नगर पंचायत	चनपटिया	22038	15
99				रामनगर	38554	23
100	दरभंगा	दरभंगा	नगर निगम	दरभंगा नगर निगम	267348	48
101		मधुबनी	नगर परिषद्	मधुबनी	66340	30
102			नगर पंचायत	जयनगर	19567	14
103				झंझारपुर	24112	16
104				घोघरडीहा	14526	11
105		समस्तीपुर	नगर परिषद्	समस्तीपुर	61998	29
106			नगर पंचायत	रोसड़ा	27492	18
107				दलसिंहसराय	20196	14
108	कोशी	सहरसा	नगर परिषद्	सहरसा	125167	40
109		सुपौल	नगर परिषद्	सुपौल	54085	28
110			नगर पंचायत	निर्मली	16141	12
111				वीरपुर	17982	13
112		मधेपुरा	नगर परिषद्	मधेपुरा	45031	26
113			नगर पंचायत	मुरलीगंज	22936	15
114	पूर्णिया	पूर्णिया	नगर परिषद्	पूर्णिया	171687	43
115			नगर पंचायत	कसबा	25524	17
116				बनमंखी	25187	17
117		अररिया	नगर परिषद्	अररिया	60861	29
118				फारबिसगंज	41499	25
119			नगर पंचायत	जोगबनी	29991	19
120		किशनगंज	नगर परिषद्	किशनगंज	85590	34
121			नगर पंचायत	बहादुरगंज	28118	18
122				ठाकुरगंज	15300	12
123		कटिहार	नगर परिषद्	कटिहार	190873	45
124			नगर पंचायत	मनिहारी	21803	15
				योग :–	**8564447**	**2992**

मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना की विशेषतायें

राज्य के शहरी क्षेत्रो में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 से मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना लागू की गई है, जिसकी मुख्य विशेषतायें निम्न प्रकार है :–

- नगर निकायों के ऐसे पथ जो राष्ट्रीय/राजमार्ग अथवा पथ निर्माण विभाग के पथों/मुख्य सड़कों को लिंक सड़कों से जोड़ता हो एवं लोकोपयोगी हों।
- चयनित सड़कों के साथ जल निकास हेतु नाले एवं नालियों का निर्माण
- निर्मित सड़कों/नालों के किनारे पेड़–पौधे, पार्किंग स्थल एवं पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ तथा दोनों किनारों पर प्रकाश की व्यवस्था।
- सड़कों के बीच आवश्यकतानुसार पुल/पुलियों/कल्भर्ट निर्माण का प्रावधान।
- सड़को के बीच डिवाडर के साथ भू–गर्भ केबलिंग, पथ प्रकाश हेतु हाई मास्ट व्यवस्था।
- झीलों/तालाबों/पार्कों/घाटों का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण।
- सड़कों के बीच जलापूर्ति पाईप लाईन की व्यवस्था नहीं किया जाना।
- सड़कों के चयन करते समय पर्यटन स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों आदि का विशेष ध्यान रखा जाना।
- प्रस्तावित सड़क में यात्री वाहनों यथा - बस, टैक्सी इत्यादि के ठहराव के लिए प्रावधान।
- भूमि अधिग्रहण का प्रावधान।
- परियोजना तैयार करने हेतु सक्षम तकनीकी संस्थान/परामर्शी की सेवा लेने का प्रावधान।
- कर्णांकित राशि से दो गुणी राशि की योजना जिला स्तर पर तैयार करना।
- गुण नियंत्रण की व्यवस्था।
- स्थानीय स्तर पर विवाद होने पर संचालन समिति के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होना।

उद्देश्य

- राज्य के शहरी क्षेत्रों में एकीकृत आधारभूत संरचनाओं का विकास।
- शहरी सौन्दर्यीकरण में अभिवृद्धि।
- आर्थिक विकास को गति प्रदान करना।
- जल–निकास सहित चौड़ी, सुदृढ़, गुणवत्ता युक्त सड़का निर्माण/जीर्णोद्धार।

- नागरिक सुविधा अन्तर्गत पार्कों / जलाशयों / घाटों इत्यादि का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण।
- पर्यटन को बढ़ावा देना।
- सड़क जाम समस्या का निराकरण।
- विभिन्न सड़को पर से यातायात के बढ़ते दबाव को कम करना।
- यातायात संचालन को सुगम बनाना।
- जल–जमाव समस्या का निराकरण एवं प्रदूषण नियंत्रण।

संचालन समिति

इस योजना के सफल एवं त्वरित कार्यान्वयन हेतु संचालन समिति का निम्न प्रकार गठन किया गया है:–

(i) 20सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन के जिला प्रभारी माननीय मंत्री – अध्यक्ष

(ii) स्थानीय विधायक (सिर्फ संबंधित शहरी क्षेत्र) – सदस्य

(iii) विधान पार्षद जो जिले के किसी नगर निकाय के मतदाता हों – सदस्य
(ऐसे माननीय स0वि0प0 चाहें तो अलग से अनुरोध कर उस जिला के स्थान पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी एक जिला की समिति के सदस्य बनाये जाने का अनुरोध कर सकते हैं)

(iv) जिला में अवस्थित नगर निकायों के मेयर / अध्यक्ष / सभापति में से चक्रीय पद्धति से एक को आमंत्रित सदस्य के रूप में सरकार द्वारा मनोनित किया जायेगा

(v) जिला पदाधिकारी – सदस्य सचिव।

(vi) आरक्षी अधीक्षक – सदस्य (पदेन)

(vii) जिला योजना पदाधिकारी – सदस्य (पदेन)

(viii) जिला में अवस्थित सभी नगरपालिका के नगर आयुक्त / नगर कार्यपालक पदाधिकारी – सदस्य (पदेन)

(ix) जिले में अवस्थित जिला शहरी विकास अभिकरण के प्रभारी अभियंता / पथ निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / एन0आर0ई0पी0 के कार्यपालक अभियंता तथा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन एवं इसके घटक यथा–यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 / आई0एच0एस0डी0पी0 आदि योजना के नामित केन्द्रीय एजेन्सी के पदाधिकारी – सदस्य (पदेन)

(x) अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकतम दो विशिष्ट व्यक्ति (यदि उपर्युक्त क्रमांक ii एवं iii के सदस्यों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, महिला एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि न हों तो इन श्रेणियों से प्राथमिकता के आधार पर विशेष आमंत्रित सदस्य नामित किये जायेंगे, ताकि जिला स्तरीय संचालन समिति में अनुसूचित जाति, महिला तथा अत्यंत पिछड़े वर्ग के कम से कम एक–एक सदस्य अवश्य रहें –विशेष आमंत्रित सदस्य।

कार्यान्वयन विधि

योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अभियंत्रण कोषांग का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत बिहार शहरी विकास अभिकरण एवं जिला शहरी विकास अभिकरण के स्तर पर पथ निर्माण विभाग द्वारा एक कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता की सेवा उपलब्ध करायी जायेगी। पथ निर्माण विभाग द्वारा अभियंताओं की सेवा उपलब्ध नहीं करायी जाने तक के लिए संविदा के आधार पर सेवा निवृत अभियंताओं अथवा जिले में स्थानीय व्यवस्था के तहत विभिन्न एजेंसियों से कार्य कराने का प्रावधान किया गया है।

अभियंत्रण कोषांग द्वारा जिलावार कर्णांकित राशि के आधार पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर एवं उन पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर तथा सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जायेगा।

योजनाओं का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से निम्न दिशानिर्देशों के आधार पर कराया जायेगा :–

- वर्ष के दौरान किए गए कार्यों के आलोक में राज्य स्तर पर वित्तीय वर्ष के नवम्बर–दिसम्बर माह में विचार कर अगले वर्ष के लिए प्राथमिकता का निर्धारण किया जायेगा।
- यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए शिथिलनीय होगी।
- योजनाओं के चयन में अन्य विभागों द्वारा अथवा अन्य योजनाओं में ली गई योजनायें/प्रस्तावित योजनायें सम्मिलित नहीं की जायेंगी।
- किसी वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता सूची के किसी पथ/नाला/अन्य योजनाओं का कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सम्पादित होता हो तो उसे उक्त योजना की प्राथमिकता सूची से हटा दिया जायेगा।
- इस योजना के अन्तर्गत बनायी जानेवाली सड़के भारतीय सड़क कॉंग्रेस द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार होगी। विशेष स्थिति में राज्य सरकार इससे भिन्न विशिष्टियाँ भी निर्धारित कर सकती हैं, जिसके लिए समय-समय पर इससे संबंधित विस्तृत निर्देश/अनुदेश निर्गत किए जायेंगे।
- सभी निर्माण कार्यों का विभिन्न स्तरों पर विडियोग्राफी/फोटोग्राफी करायी जायेगी तथा उन्हें जाँच प्रतिवेदनों के साथ संधारित किया जायेगा। प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश/अनुदेश निर्गत किये जायेंगे।

निधि व्यवस्था

- वित्तीय वर्ष 2008 -09 में राज्य योजना मद में 100.00 करोड़ रू0 प्रावधानित;
- राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से राज्य के जिला अभिकरण को जिला में अवस्थित नगर निकायों की कुल जनसंख्या के आधार पर आवंटन का प्रावधान।
- कर्णांकित राशि का 75 प्रतिशत राशि सड़क तथा नालों पर व्यय का प्रवधान एवं शेष राशि पार्क/पोखर/जलाशय इत्यादि पर खर्च हेतु कर्णांकित।

लेखा संधारण व्यवस्था

प्रत्येक कार्य इकाई के लिए आउटसोर्सिंग के आधार पर लेखा संधारण हेतु विशेषज्ञ / चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की सेवायें जिला शहरी विकास अभिकरण को उपलब्ध करायी जायेगी। वे प्रत्येक कार्य से संबंधित अभिलेखों की जांच एवं उनका विधिवत संधारण करेंगे ; लेखा संधारण करने वाले विशेषज्ञ / चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा, जिसके लिए विभाग द्वारा समय–समय पर आवश्यक आदेश निर्गत किया जायेगा।

इस योजना के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों के बाह्य प्रमाणीकरण के लिए आउटसोर्सिंग के आधार पर राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी / सेवानिवृत तकनीकी एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों / चार्टर्ड एकाउन्टेंट आदि की सेवायें उपलब्ध करायी जायेगी जिसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर आवश्यक आदेश / दिशा निर्देश / अनुदेश निर्गत किया जायेगा।"

गुण नियंत्रण एवं अनुश्रवण व्यवस्था

मुख्यमंत्री शहरी समेकित विकास योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण का प्रावधान निम्नवत् रहेगा :–

(i) ***प्रथम स्तर*** – संवेदक / प्रभारी अभियंता / अभियंता समूह द्वारा निर्माण के क्रम में समुचित जाँच अवश्य की जायेगी।

(ii) ***द्वितीय स्तर*** – जिला गुणवत्ता समन्वयक (District Quality Monitor-DQM) इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता / सेवानिवृत प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनेल तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश / दिशा निर्देश / अनुदेश निर्गत किया जायेगा।

(iii) ***तृतीय स्तर*** – राज्य गुणवत्ता समन्वयक (State Quality Monitor-SQM) इसके लिए सेवानिवृत अभियंता प्रमुख / मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता तथा सेवानिवृत वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों (उप सचिव स्तर एवं उपर) का राज्य स्तरीय पैनेल तैयार किया जायेगा। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर विस्तृत आदेश / निर्देश / अनुदेश निर्गत किया जायेगा।

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषय : राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 से मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना का प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त आधारभूत संरचनाओं का विकास नहीं होने के कारण बिहार में शहरी विकास की दर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शहरीकरण की दर से काफी कम है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने के पश्चात भी शहरी क्षेत्रो में पर्याप्त आधारभूत संरचनाओं का विकास नहीं हो पा रहा है। सुदृढ़ शहरी आधारभूत संरचनाएँ राष्ट्रीय विकास का पैमाना होती है। शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, लघु एवं मध्यम शहरो में आधारभूत संरचनाओं का विकास इत्यादि योजनाएँ चलायी जा रही हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत पथों के निर्माण/जीर्णोद्धार एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को गैर–प्राथमिकता की सूची में रखे जाने के कारण शहरी क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का त्वरित विकास नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार द्वारा भी राज्य योजना के अन्तर्गत पेयजलापूर्ति, पथ एवं नाला निर्माण, नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाएँ इत्यादि योजनाएँ अलग–अलग चलायी जा रही हैं। इन योजनाओं का स्वरूप एकीकृत नहीं है, फलस्वरूप शहरी विकास एवं शहरी सौन्दर्यीकरण की प्रक्रिया धीमी है। इन सभी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा अनुभव किया गया है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु एक ऐसी योजना प्रारम्भ की जाय, जिसमें जल–निकास सहित चौड़ी, सुदृढ़, गुणवत्ता युक्त सड़कों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार तथा पार्कों, घाटों, जलाशयों इत्यादि का एक साथ प्रावधान हो सके जिससे राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में विकास की गति त्वरित हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2008–09 में एक नई योजना ***"मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना"*** के नाम से प्रवर्तित एवं कार्यान्वित कराने का निर्णय लिया गया है।

2. इस योजना का कार्य क्षेत्र बिहार राज्य के 124 शहरी स्थानीय निकायों के अन्तर्गत होगा तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्न प्रकार प्रावधान किये गये हैं:–

(i) ऐसे पथों का चयन किया जायेगा, जो नगरपालिका के हों तथा वे राष्ट्रीय/राज्य मार्ग अथवा पथ निर्माण विभाग के पथों/मुख्य सड़कों को लिंक सड़कों से जोड़ता हो एवं लोकोपयोगी हो। ऐसी सड़कें जो ज्यादा जनोपयोगी और ज्यादा आबादी को लाभान्वित करती हों, उन्हें सम्मिलित किया जायेगा।

(ii) योजनाओं के चयन में नगर निगम वाले शहर/ प्रमण्डलीय/जिला/अनुमण्डल मुख्यालय एवं अन्य शहरों को क्रमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी।

(iii) चयनित सड़कों के निर्माण के साथ ही जल निकास हेतु नाली–नाले का निर्माण भी किया जायेगा ताकि जल–जमाव की समस्या नहीं हो।

(iv) नालों के चयन में आउटफॉल एरिया को प्राथमिकता दी जायेगी। सबसे ज्यादा जल जमाव वाले स्थान पर ट्रंक चैनल बनाया जायेगा एवं उसे आउटफॉल चैनल से जोडा जाएगा, जिससे ज्यादा पानी निकल सके।

(v) निर्मित सडकों/नालो के किनारे पेड़–पौधे, पार्किंग स्थान एवं पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ तथा दोनों किनारों पर प्रकाश की व्यवस्था होगी।

(vi) सड़को के बीच आवश्यकतानुसार पुल/पुलियों/कलभर्ट का निर्माण किया जायेगा।

(vii) सड़कों के बीच डिवाइडर के साथ अन्डर ग्राउण्ड केबलिंग/स्ट्रीट लाइटिंग/मास्क लाईट का प्रावधान किया जायेगा बशर्ते कि सड़क की चौड़ाई पर्याप्त हो।

(viii) नागरिक सुविधाओं के अन्तर्गत झीलों/तालाबों/पार्कों/घाटों का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कार्य कराये जायेगें।

(ix) इस योजना के अधीन गलियों वाली छोटी सड़कों का समावेश नहीं किया जायेगा।

(x) चयनित सड़कों के बीचों–बीच जलापूर्ति पाइप लाइन का प्रावधान नहीं रखा जायेगा।

(xi) आवश्यकतानुसार भूमि अधिग्रहण का प्रावधान रखा जायेगा।

(xii) कर्णांकित राशि से दो गुणी राशि की योजनाओं की कार्य–योजना जिला स्तर पर तैयार कर सभी प्रक्रियाएं माह अक्टूबर तक पूर्ण कर ली जायेगी।

(xiii) योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से किया जायेगा।

(xiv) सड़को का चयन करते समय महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों को ध्यान में रखा जाएगा।

(xv) सड़कों को बनाने के क्रम में यात्री वाहनों जैसे बस, टैक्सी इत्यादि के लिए ठहराव का प्रावधान किया जाएगा।

(xvi) योजनायें तैयार करने हेतु सक्षम तकनीकी संस्थान/परामर्शी की सेवा ली जाएगी तथा इसके लिए परियोजना लागत में प्रावधान भी रखा जाएगा।

(xvii) योजना कार्य की गुणवत्ता की जाँच तथा अन्य अनुषंगिक कार्य नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश/अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

(xviii) योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक निश्चित समय–सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा निर्धारित समय में उन्हें पूर्ण भी किया जाएगा।

(xix) प्रथम किस्त की राशि की विमुक्ति के पश्चात् द्वितीय किस्त की राशि तभी विमुक्त की जाएगी, जब प्रथम किस्त में विमुक्त राशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(xx) समिति में किसी भी तरह का विवाद होने पर संचालन समिति के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

2.2 *संचालन समिति*

योजना की प्राथमिकता का निर्धारण जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा किया जायेगा जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा :–

(i) 20सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन के जिला प्रभारी माननीय मंत्री – अध्यक्ष

(ii) स्थानीय विधायक (सिर्फ संबंधित शहरी क्षेत्र) – सदस्य

(iii) विधान पार्षद जो जिले के किसी नगर निकाय के मतदाता हों तो वे उस जिला की समिति के सदस्य होंगे। यदि ऐसे माननीय स0वि0प0 चाहें तो अलग से अनुरोध कर उस जिला के स्थान पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी एक जिला की समिति के सदस्य बनाये जाने का अनुरोध कर सकते हैं – सदस्य

(iv) जिला में अवस्थित नगर निकायों के मेयर/अध्यक्ष /सभापति में से चक्रीय पद्धति से एक को आमंत्रित सदस्य के रूप में सरकार द्वारा मनोनित किया जायेगा

(v) जिला पदाधिकारी – सदस्य सचिव।

(vi) आरक्षी अधीक्षक – सदस्य (पदेन)

(vii) जिला योजना पदाधिकारी – सदस्य (पदेन)

(viii) जिला में अवस्थित सभी नगरपालिका के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी – सदस्य (पदेन)

(ix) जिले में अवस्थित जिला शहरी विकास अभिकरण के प्रभारी अभियंता/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/एन0आर0ई0पी0 के कार्यपालक अभियंता तथा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन एवं इसके घटक यथा– यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0/ आई0एच0एस0डी0पी0 आदि योजना के नामित केन्द्रीय एजेन्सी के पदाधिकारी – सदस्य (पदेन)

(x) अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकतम दो विशिष्ट व्यक्ति (यदि उपर्युक्त क्रमांक ii एवं iii के सदस्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि न हों तो इन श्रेणियों से प्राथमिकता के आधार पर विशेष आमंत्रित सदस्य नामित किये जायेंगे, ताकि जिला स्तरीय संचालन समिति में अनुसूचित जाति, महिला तथा अत्यंत पिछड़े वर्ग के कम से कम एक-एक सदस्य अवश्य रहें –विशेष आमंत्रित सदस्य।

2.3 *निधि की व्यवस्था :*

2.3.1 मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना के कार्यन्वयन हेतु राज्य योजना मद से नगर विकास एवं आवास विभाग को राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

2.3.2 नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस राशि को बिहार शहरी विकास अभिकरण (Bihar Urban Development Agency) के माध्यम से योजना के कार्यन्वयन हेतु राज्य के सभी जिला शहरी विकास अभिकरण (District Urban Development Agency) को राशि जनसंख्या के आधार पर उपलब्ध करायी जायेगी। उपलब्ध करायी गयी राशि का 75 प्रतिशत राशि सड़क तथा नालों के निर्माण पर व्यय की जायेगी। शेष राशि पार्क, तालाब, पोखर, जलाशय (वाटर बॉडी) इत्यादि पर खर्च की जायेगी।

2.4 *अभियंत्रण की व्यवस्था :*

2.4.1 बिहार शहरी विकास अभिकरण एवं जिला शहरी विकास अभिकरण के अन्तर्गत अभियंताओं का एक कोषांग गठित किया जायेगा जिसमें अभियंताओं की सेवा उपलब्ध करायी जायेगी तथा योजनाओं का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण (डुडा) के अभियंता कोषांग द्वारा कराया जायेगा। पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रत्येक जिला में एक कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता जिला शहरी विकास अभिकरण में उपलब्ध कराये जाने तक के लिए संविदा के आधार पर सेवा निवृत अभियंताओं से कार्य लिया जायेगा या जिला में स्थानीय व्यवस्था के तहत उपलब्ध विभिन्न एजेंसियों से कार्य लिया जायेगा।

2.4.2 अभियंत्रण कोषांग द्वारा जिलावार कर्णाकित राशि के आधार पर चयनित योजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा तथा उन पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर एवं सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण कर कार्यान्वित कराया जायेगा।

2.5 *योजना के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य दिशा निर्देश :*

2.5.1 वर्ष के दौरान किये गये कार्यों के आलोक में राज्य स्तर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के नवम्बर–दिसम्बर माह में विचार कर अगले वर्ष के लिए प्राथमिकता सूची का निर्धारण किया जाएगा ताकि अगले वर्ष की कार्य योजना उस समय तक तैयार हो जाये। वर्ष 2008–09 के लिए यह व्यवस्था शिथिलनीय होगी।

2.5.2 योजनाओं के चयन में अन्य विभागों द्वारा अथवा अन्य योजनाओं में ली गयी योजना/प्रस्तावित योजनायें सम्मिलित नहीं की जायेगी, जिससे एक ही योजना का दोहरीकरण अथवा पुनरावृति नहीं हो सके। किसी वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता सूची के किसी पथ/नाला/अन्य योजना का कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित/सम्पादित होता है तो उक्त योजना को प्राथमिकता सूची से हटा दिया जायेगा।

2.5.3 मुख्यमंत्री शहरी समेकित विकास योजना के अन्तर्गत बनायी गयी सड़के भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार होंगी। विशेष स्थिति में राज्य सरकार इससे भिन्न विशिष्टियाँ भी निर्धारित कर सकती है। उसके लिए समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत निदेश/ अनुदेश निर्गत किये जायेंगे।

2.5.4 सभी निर्माण कार्यों का विभिन्न स्तरों पर वीडियोग्राफी / फोटोग्राफी करायी जायेगी तथा उन्हें जाँच प्रतिवेदनों के साथ संधारित किया जायेगा। प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश / अनुदेश निर्गत किया जायेगा।

2.6. *गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था :*

मुख्यमंत्री शहरी समेकित विकास योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियत्रण का प्रावधान निम्नवत् रहेगा :–

(i) ***प्रथम स्तर*** – संवेदक / प्रभारी अभियंता / अभियंता समूह द्वारा निर्माण के क्रम में समुचित जाँच अवश्य की जायेगी।

(ii) ***द्वितीय स्तर*** – जिला गुणवत्ता समन्वयक (District Quality Monitor-DQM) इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता / सेवानिवृत प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनेल तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश / दिशा निर्देश / अनुदेश निर्गत किया जायेगा।

(iii) ***तृतीय स्तर*** – राज्य गुणवत्ता समन्वयक (State Quality Monitor-SQM) इसके लिए सेवानिवृत अभियंता प्रमुख / मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता तथा सेवानिवृत वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों (उप सचिव स्तर एवं उपर) का राज्य स्तरीय पैनेल तैयार किया जायेगा। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर विस्तृत आदेश / निर्देश / अनुदेश निर्गत किया जायेगा।

2.7 *लेखा संधारण व्यवस्था :*

2.7.1 प्रत्येक कार्य इकाई के लिए आउटसोर्सिंग के आधार पर लेखा संधारण हेतु विशेषज्ञ / चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की सेवायें जिला शहरी विकास अभिकरण को उपलब्ध करायी जायेगी। वे प्रत्येक कार्य से संबंधित अभिलेखों की जांच एवं उनका विधिवत संधारण करेंगे। लेखा संधारण करने वाले विशेषज्ञ / चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा, जिसके लिए विभाग द्वारा समय–समय पर आवश्यक आदेश निर्गत किया जायेगा।

2.7.2 इस योजना के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों के वाह्य प्रमाणीकरण के लिए आउटसोर्सिंग के आधार पर राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी / सेवानिवृत तकनीकी एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों / चार्टर्ड एकाउन्टेंट आदि की सेवायें उपलब्ध करायी जायेगी जिसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर आवश्यक आदेश / दिशा निर्देश / अनुदेश निर्गत किया जायेगा।"

3. *बजट प्रावधान :*

इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2008–09 में 100.00 करोड़ रू0 (एक अरब रू0 मात्र) प्रावधान किया गया है, जो निम्न शीर्ष से विकलनीय होगा :–

मांग सं0–48 मुख्य शीर्ष 2217 शहरी विकास–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–0124–मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना। विपत्र कोड– पी–2217808000124

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-
(एस0 जलजा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :–2375/न0वि0एवंआ0वि0/ पटना, दिनांक–12.05.08

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी पांच सौ प्रतियां विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
(एस0 जलजा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :–2375/न0वि0एवंआ0वि0/ पटना, दिनांक–12.05.08

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव/विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी /उप सचिव सह निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, नगर विकास एवं आवास विभाग/निदेशक, शहरी गरीबी निवारण निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस0 जलजा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :–2375/न0वि0एवंआ0वि0/ पटना, दिनांक–12.05.08

प्रतिलिपि :– सभी नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी तथा सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(एस0 जलजा)
सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषय : नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना के सफल कार्यान्वयन एवं नगर निकायों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतू शहरी अभियंत्रण कोषांग बनाने हेतु पदों के सृजन तथा योजना मद में प्रति वर्ष उस पर होने वाले अनुमानित व्यय 835.80 लाख (आठ करोड़ पैंतीस लाख अस्सी हजार रु० मात्र) रु० एवं अन्य विविध मदों में होने वाले व्यय बिहार शहरी विकास अभिकरण को अनुमान्य सेवा शुल्क की राशि से करने की स्वीकृति।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी संरचनाएँ, नागरिक सुविधाएँ एवं सेवाएँ उपलब्ध कराने का दायित्व यद्यपि नगर निकायों का है, किन्तु तकनीकी पदाधिकारियो की कमी से योजनाओं का कार्यान्वयन नियत समय पर नहीं हो पाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण अभियंत्रण संगठन के कार्यप्रमंडल/ग्रामीण विशेष प्रमंडल इत्यादि कार्यरत है, जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग में शहरी स्थानीय निकायों की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु इस प्रकार के तकनीकी विंग का सर्वथा अभाव है। तकनीकी विंग की कमी के कारण राज्य योजना, केन्द्र प्रयोजित योजना केन्द्र की विशेष सहायत प्राप्त योजनाओं के कार्यान्वयन में आशातीत सफलता नहीं मिल पाती है। इससे विकास कार्य वाधित होता है।

2. वित्तीय वर्ष 2008–09 से मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना का प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के सफल कार्यान्वियन हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्ग 124 नगर निकायों के लिए अभियंत्रण संवर्ग के विभिन्न पदों का सृजन किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक निकाय को इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करने का लक्ष्य है। राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में तकनीकी पदाधिकारियो की संख्या नगण्य है, जिसके कारण योजनाओं का समय पर कार्यान्वयन नहीं होने से योजना का लाभ आम जनता को नहीं मिल पाता है। अतः पूर्ण विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :–

(क) नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक तकनीकी कोषांग का गठन किया जाता है जिसके अन्तर्गत बिहार शहरी विकास अभिकरण एवं जिला शहरी विकास अभिकरण के स्तर पर निम्नांकित पद सृजित किये जाते हैं :–

क्र० सं०	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन मान (रु० में)	वर्ष में कुल अनुमानित व्यय (रु० में)
1.	मुख्य अभियंता	1 (मुख्यालय स्तर)	16400-450-20000	40000.00×12=480000.00
2.	अधीक्षण अभियंता	3 (मुख्यालय–2 गुण नियंत्रण एवं निरूपण अंचल एवं पटना–1)	14300-400-18300	105000.00×12=1260000.00
3.	कार्यपालक अभियंता	35 (मुख्यालय–3 एवं पटना–2 तथा अन्य–30)	10000-325-15200	1050000.00×12=12600000.00
4.	सहायक अभियंता	70	6500-200-10500	1750000.00×12=21000000.00
5.	कनीय अभियंता	67×3 = 201	5000-125-8000	4020000.00×12=48240000.00
			कुल	**83580000.00**

(आठ करोड़ पैंतीस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र)

(ख) अभियंत्रण कोषांग द्वारा निम्नांकित कार्य किये जायेंगे :–

i) योजना तैयार करना।

ii) योजनाओं का रूपांकण करना।

iii) योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना।

iv) योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना

v) प्रभावी रुप से योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना।

vi) कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

vii) ससमय उपयोगिता प्रमाण–प्रत्र उपलब्ध करना।

viii) नगर निकायों को आवश्यक तकनीकी सेवाएँ प्रदान करना।

(ग) ***निधि का प्रावधान*** : अभियंत्रण कोषांग के मद में होने वाले व्यय को राज्य योजना मद से वहन किया जायेगा, जिसके लिए योजना मद में राशि कर्णांकित की जायेगी। इसके लिए योजना मद में माँग सं०–48 मुख्य शीर्ष–2217 शहरी विकास–08 सामान्य–राज्य योजना–800–अन्य व्यय के अन्तर्गत एक उप शीर्ष वित्त विभाग की सहमति से खोला जायेगा।

(घ) अभियंत्रण कोषांग के लिए उपर्युक्त तकनीकी पदाधिकारियों के अतिरिक्ति अन्य कनीय कर्मियों, तृतीय वर्ग कर्मियों, कार्यालय व्यय, वाहन व्यय एवं अन्य व्यय बिहार शहरी विकास अभिकरण को अनुमान्य सेवा शुल्क की राशि से वहन किया जायेगा, जिसके संबंध में बिहार शहरी विकास अभिकरण के प्रबंध समिति द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।

(च) अभियंत्रण कोषांग के लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा अभियंताओं की सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक जिला में एक कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता जिला शहरी विकास अभिकरण में उपलब्ध कराया जायेगा। पर्याप्त तकनीकी पदाधिकरी उपलब्ध नहीं होने पर संविदा के आधार पर सेवा निवृत अभियंताओं से कार्य लिया जायेगा या जिला में स्थानीय व्यवस्था के तहत उपलब्ध विभिन्न एजेंसियों से कार्य लिया जायेगा।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/बिहार शहरी विकास अभिकरण/महालेखाकर बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

ह०/–
(एस० जलजा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 4/न०या०–1194/96 2563/नि०वि०एवं आ०वि०/पटना, दिनांक – 21.05.08

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग , पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के आसाधरण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 500 प्रतियां विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/–
(एस० जलजा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 4/न०या०–1194/96 2563/नि०वि०एवं आ०वि०/पटना, दिनांक – 21.05.08

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/महालेखाकर, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/उप सचिव सह निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, नगर विकास एवं आवास विभाग/निदेशक, शहरी गरीबी निवारण निदेशालय, निगर विकास एवं आवास विभाग, पटना/सचिव सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकरी, बिहार शहरी विकास अभिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पेषित।

ह०/–
(एस० जलजा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 4/न०या०–1194/96 2563/नि०वि०एवं आ०वि०/पटना, दिनांक – 21.05.08

प्रतिलिपि : सभी नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी तथा सभी विभगीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(एस० जलजा)
सरकार के प्रधान सचिव

पत्रांक–5ब / योजना–11–06 / 07 / 2537 / न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

*अनौपचारिक रूप से प्रदर्शित *द्वारा–आंतरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक : 20.05.2006

विषय : वित्तीय वर्ष 2008–09 में मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना के अन्तर्गत संलग्न सूची के जिलों में अवस्थित शहरी स्थानीय निकायों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु बिहार राज्य शहरी विकास अभिकरण, पटना को 100.00 करोड़ रू0 (एक अरब रू0 मात्र) की स्वीकृति एवं आवंटन।

आदेश :स्वीकृत

विभागीय संकल्प संख्या–2375 दिनांक–12.05.08 द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 से मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना प्रारम्भ की गयी है। इस संकल्प के अन्तर्गत सन्निहित प्रावधानो एवं दिशानिर्देशों के आलोक में राज्य के शहरी क्षेत्रो में आधारभूत संरचनाओं के विकास से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को 100.00 करोड़ रू0 (एक अरब रू0 मात्र) की राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए आवंटित किया जाता है। इसके लिए अलग से आवंटन आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।

2. 100.00 करोड़ रू0 (एक अरब रू0 मात्र) की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप निदेशक, शहरी गरीबी उन्मूलन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी सचिवालय कोषागार (विकास भवन), पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) को हस्तानांतरित कर दी जायेगी जो योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य जिला शहरी विकास अभिकरणो को जनसंख्या के आधार पर संलग्न सूची के अनुरूप राशि उपलब्ध करायेंगे। राशि की निकासी से संबंधित टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ सरकार को भी सूचना दी जायेगी।

3. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.98 एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2938 / वि(2) दिनांक–08.04.08 के निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2008–09 के अन्तर्गत मांग संख्या–48 बजट शीर्ष–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–0124–मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना, विपत्र कोड–पी–2217808000124 से की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–1496 दिनांक–22.02.08 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

4. योजनाओं का चयन एवं उनका कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या 2375 दिनांक–12.05.08 के आलोक में किया जायेगा तथा योजनाओं के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन सरकार को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

5. योजना पर योजना प्राधिकृत समिति द्वारा दिनांक -10.03.2007 को हुई बैठक में सहमति प्रदान की गई है तथा मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक--06.05.08 के मद संख्या--05 में सम्मिलित कर इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

7. आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ0–34 [illegible] पर दिनांक -14.05.08 को प्राप्त है।

8. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों / रजिस्टरों / अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. इसकी सूचना सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों / जिला पदाधिकारियों / नगर निकायों / बिहार शहरी विकास अभिकरण एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / -

(एस0 जलजा)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 2537 / न0वि0एवंआ0वि0 / पटना, दिनांक : 20.05.06

प्रतिलिपि:--सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी नगर निकाय / कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार (विकास भवन) पटना / उप निदेशक, शहरी गरीबी उन्मूलन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग / लेखापाल नगर विकास एवं आवास विभाग दो प्रतियों में / वित्त (बजट) [illegible] अभिकरण बिहार पटना / जिला शहरी विकास [illegible]

[illegible]

ह0 / -

(एस0 जलजा)

सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना के अन्तर्गत जिलावार जनसंख्या के आधार पर राशि आवंटन की विवरणी :–

(राशि लाख रू0 में)

क्र० सं०	जिला का नाम	निकायों की संख्या	जनसंख्या	जनसंख्या की आधार पर राशि का आवंटन
1	पटना	11	1862933	2175.19
2	गया	4	470196	549.01
3	भागलपुर	4	447309	522.29
4	नालंदा	5	349791	408.42
5	रोहतास	6	347672	405.95
6	मुंगेर	3	312108	364.42
7	मुजफ्फरपुर	4	365591	426.87
8	प0 चम्पारण	5	309559	361.45
9	भोजपुर	6	312414	364.78
10	सारण	5	298637	348.69
11	पूर्वी चम्पारण	7	265675	310.21
12	दरभंगा	1	267348	312.16
13	पूर्णियां	3	222398	259.68
14	कटिहार	2	212676	248.32
15	बक्सर	2	128974	150.59
16	जहानाबाद	2	111612	130.32
17	नवादा	3	138443	161.65
18	औरंगाबाद	4	161449	188.51
19	लखीसराय	2	117740	137.48
20	जमुई	2	103244	120.55
21	सीवान	3	148607	173.52
22	गोपालगंज	4	130590	152.48
23	सीतामढ़ी	5	137335	160.35
24	वैशाली	3	186602	217.88
25	मधुबनी	4	124545	145.42
26	समस्तीपुर	3	109686	128.07
27	सहरसा	1	125167	146.15
28	अररिया	3	132351	154.54
29	किशनगंज	3	129008	150.63
30	कैमूर	1	41775	48.78
31	शेखपुरा	2	89087	104.02
32	बेगुसराय	1	93741	109.45
33	सुपौल	3	88208	102.99
34	बांका	2	56420	65.88
35	मधेपुरा	2	67967	79.36
36	खगड़िया	2	76327	89.12
37	शिवहर	1	21262	24.83
	कुल:–	**124**	**8564447**	**10000.00**

(एक अरब रूपये मात्र)

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

सं० – मं०मं० / का०का० (गठन) – 1379 सी०सी० / 08 / 599 / दिनांक : 21.04.2008

अधिसूचना

जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के प्रभारी मंत्री–सह–अध्यक्ष के मनोनयन से संबंधित मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं०–मं०मं०–02 / वि० 2–601 / 2007–1181 दिनांक–18.04.2007 को तातकलिक प्रभाव से विलोपित करते हुए निम्नांकित मंत्री / राज्यमंत्रिगण को उनके नाम के सामने अंकित जिले का गले आदेश तक प्रभारी मंत्री–सह- -अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है :–

1.	श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री	पटना
2.	श्री रामाश्रय प्र० सिंह, मंत्री, ऊर्जा, अतिरिक्त प्रभार संसदीय कार्य	वैशाली
3.	श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री, स्वास्थ्य	मुजफ्फरपुर
4.	श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री, जल संसाधन	किशनगंज
5.	श्री नरेन्द्र सिंह, मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	भागलपुर
6.	श्री वृशिण पटेल, मंत्री, ग्रामीण कार्य	गोपालगंज
7.	श्रीमती सुधा श्रीवास्तव, मंत्री, योजना एवं विकास	समस्तीपुर
8.	श्री अश्विनी कुमार चौबे, मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	कटिहार
9.	श्री रामनाथ ठाकुर, मंत्री, विधि, अतिरिक्त प्रभार सूचना एवं जन संपर्क	जमुई
10.	श्री प्रेम कुमार, मंत्री, पथ निर्माण	पूर्वी चंपारण
11.	श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार	नालंदा
12.	श्री नागमणि, मंत्री, कृषि	भोजपुर
13.	श्री जीतन राम मांझी, मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	बांका
14.	श्री शाहिद अली खां, मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, अतिरिक्त प्रभार अल्पसंख्यक कल्याण	सुपौल
15.	श्री दिनेश चन्द्र यादव, मंत्री, उद्योग	बक्सर
16.	श्री छेदी पासवान, मंत्री भवन निर्माण	गया

17.	श्री दामोदर रावत, मंत्री समाज कल्याण	लखीसराय एवं शेखपुरा
18.	श्री रामानंद सिंह, मंत्री, परिवहन	मुंगेर
19.	श्री हरि नारायण सिंह, मंत्री, मानव संसाधन विकास	मधुबनी
20.	श्री हरि प्रसाद साह, मंत्री पंचायती राज, अतिरिक्त प्रभार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण	अररिया
21.	श्री भगवान सिंह कुशवाह, मंत्री, ग्रामीण विकास	सिवान
22.	श्री दिनेश प्रसाद, मंत्री, लघु जल संसाधन	सारण
23.	श्री भोला सिंह, मंत्री, नगर विकास एवं आवास	दरभंगा
24.	श्री अवधेश नारायण सिंह, मंत्री, श्रम संसाधन	पूर्णिया
25.	श्री गिरिराज सिंह, मंत्री, सहकारिता	पश्चिम चंपारण
26.	श्रीमती रेणु देवी, मंत्री कला, संस्कृति एवं युवा	खगड़िया
27.	श्री राम नारायण मंडल, मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन	जहानाबाद एवं अरवल
28.	श्री राम प्रवेश राय, मंत्री, पर्यटन	शिवहर एवं सीतामढ़ी
29.	डा. अनिल कुमार, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सूचना प्रावैधिकी	कैमूर
30.	श्री गौतम सिंह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), गन्ना उद्योग	बेगूसराय
31.	श्री नीतीश मिश्र, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आपदा प्रबंधन	औरंगाबाद
32.	श्री रामचन्द्र सहनी, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), खनन एवं भूतत्व	नावादा
33.	श्री रामजी दास ऋषिदेव, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पर्यावरण एव वन	रोहतास
34.	श्री जमशेद अशरफ, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध	सहरसा
35.	श्री ब्यासदेव प्रसाद राज्यमंत्री, स्वास्थ्य	मधेपुरा

आदेश: आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(गिरीश शंकर)

सरकार के प्रबंधन

ज्ञापांक : मं०मं० / का0का०(गठन)–1379सी०सी० / 08 / 599 / दिनांक : 21.04.2008

प्रतिलिपि : अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि राजपत्र की 500 प्रतियाँ मुद्रित कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाए।

ह० / –

(गिरीश शंकर)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : मं०मं० / का0का०(गठन)–1379सी०सी० / 08 / 599 / दिनांक : 21.04.2008

प्रतिलिपि : उप मुख्यमंत्री / सभी मंत्री / राज्यमंत्री के आप्त सचिवों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

(गिरीश शंकर)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : मं०मं० / का0का०(गठन)–1379सी०सी० / 08 / 599 / दिनांक : 21.04.2008

प्रतिलिपि : मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव / विकास आयुक्त के प्रधान सचिवों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

(गिरीश शंकर)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : मं०मं० / का0का०(गठन)–1379सी०सी० / 08 / 599 / दिनांक : 21.04.2008

प्रतिलिपि : सभी विभागीय प्रधान सचिव / सचिव / महा निदेशक, सूचना एवं जन–संपर्क विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी अनुमंडल पदाधिकारी / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

(गिरीश शंकर)

सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

ज्ञापांक–5ब / योजना–11–6 / 07 2802 / न0वि0 एवं आ0वि0 / पटना, दिनांक–30.05.08

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्गत मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना से संबंधित संकल्प संख्या–2375 दिनांक–12.05.08 की कंडिका 2.2(iv) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त योजना की जिला स्तरीय संचालन समिति में वर्ष 2008–09 के लिए जिला मुख्यालय में अवस्थित शहरी निकायों के लिए तत्काल यथास्थिति मेयर / अध्यक्ष / सभापति को आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0 / –
(एस0 जलजा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–5ब / योजना–11–6 / 07 2802 / न0वि0 एवं आ0वि0 / पटना, दिनांक–30.05.08

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना–7 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा प्रकाशनोपरान्त इसकी 50 प्रतियाँ विभाग को भी भेजी जाये।

ह0 / –
(एस0 जलजा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–5ब / योजना–11–6 / 07 2802 / न0वि0 एवं आ0वि0 / पटना, दिनांक–30.05.08

प्रतिलिपि: मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी नगर निकायों के मेयर / अध्यक्ष / सभापति एवं सभी निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(एस0 जलजा)
सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार

नगर विकास विभाग

संकल्प

विषयः– जिला शहरी विकास अभिकरणों का गठन, जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिए कर्मियों की व्यवस्था, बिहार शहरी विकास अभिकरण का गठन तथा नगर विकास के अन्तर्गत शहरी गरीबी निवारण निदेशालय की स्थापना।

बिहार राज्य के शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में बड़ी शीघ्र गति से हुई वृद्धि तथा उसके फलस्वरूप शहरी गरीबों की जनसंख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रायोजित एवं राज्य प्रायोजित निम्नलिखित योजनायें नगर विकास विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं:-

1. रिक्शा चालक कल्याण परियोजना
2. परिवेशीय सुधार योजना
3. नेहरू रोजगार योजना

इसके अलावे केन्द्र प्रायोजित अर्बन बेसिक सर्विसेज नामक एक स्कीम जो प्रयोगात्मक रूप से पटना जिला में चलायी गयी थी एवं जिस योजना की कुछ बदल कर अर्बन बेसिक सर्विसेज फार द पुअर के रूप में चलाने के लिए भारत सरकार ने निदेश दिया है, राज्य में चलाने के लिए अलग से कार्रवाई की जा रही है। इन योजनाओं के अलावे राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं जैसे–वृद्धावस्था पेंशन, आई0सी0सी0एस0, वयस्क तथा अनौपचारिक शिक्षा, इम्यूनाईजेशन, मातृ एवं शिशु कल्याण, पोषक आहार, अपंग एवं ड्रग नशाखोरों की सहायता, प्रवासी मजदूरों के लिए योजनाएं, शहरी गरीबों के लिए स्वनियोजन कार्यक्रम, कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाएं विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है:–

ये सभी योजनायें विभिन्न विभागों द्वारा अलग–अलग चलाये जाने के कारण शहरी गरीबों को समेकित एंव समन्वित लाभ नहीं पहुच रहा है। इन सभी योजनाओं में विभिन्न विभागों, संस्थाओं, बैंको आदि की सहभागिता एवं समन्वय आवश्यक है। इसके अलावे शहरी विकास के लिए छोटे एवं मध्यम कोटि के शहरों की समेकित विकास योजना, शौचालय परिवर्तन, आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति के लिए गृह निर्माण की सुविधा तथा विभिन्न प्रकार के शहरी प्लानिंग की योजनाएं चालू है, जिनका असर शहरी गरीबों पर पड़ता है। उन्हें समेकित रूप से कार्यान्वित होने पर ही शहरी गरीबों को लाभ होगा। इनका कार्यान्वयन विकेन्द्रित रूप से ही हो सकता है। विकेन्द्रित रूप से चलाए गए योजनाओं को जिस स्तर पर विशेष रूप से समन्वय आवश्यक है, जिसमें सरकारी विभाग के अलावे स्थानीय निकाय, बैंकों के प्रतिनिधि, निर्वाचित जन प्रतिनिधि, स्वैच्छिक संस्थायें भी सम्मिलित हो। भारत सरकार ने सुझाव दिया है कि इस कार्य का जिला स्तर पर समेकित

कार्यान्वयन एवं मोनिटरींग हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अनुरूप जिला शहरी विकास अभिकरण का गठन किया जाए जिससे योजनाओं के समेकित कार्यान्वयन में लचीलापन आ सके।

नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन छठी पंचवर्षीय योजना काल से ही रिक्शा चालक कल्याण परियोजना के कार्यान्यन के लिए कए निदेशालय सृजित है जो शहरी गरीबों के एक वर्ग के लिए कल्याणकारी कार्य देख रहे हैं। किन्तु सभी वर्गों के शहरी गरीबों के लिए रोजगार के कार्यक्रम को नेहरू रोजगार योजना, यू0बी0एस0पी0, रिक्शा चालक कल्याण परियोजना, परिवेशीय सुधार योजना, अरबन बेसिक सर्विसेज फॉर द पुअर योजनाओं के अन्तर्गत समेकित एवं विकेन्द्रित रूप से चलाने की आवश्यकता है जिसे जिला शहरी विकास अभिकरणों तथा राज्य स्तरीय बिहार शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त रिक्शा चालक कल्याण परियोजना निदेशालय को उत्क्रमणित कर उसमें सृजित पदों के साथ नगर विकास विभाग के अन्तर्गत शहारी गरीबी निवारण निदेशालय के गठन की भी आवश्यकता है जिससे सभी शहरी गरीबों के हितों की रक्षा हो सके।

शहरी गरीबी की नियंत्रित करने, उसपर अंकूश लगाने तथा शहरी गरीबों के अन्यान्य हितों की रक्षा करने के निमित्त केन्द्र सरकारी अथवा राज्य सरकार अथवा दोनों के सहयोग से चलायी जानेवाली योजनाओं तथा अन्य कार्यक्रमों को ही समन्वित एवं सुनियोजित रूप से सूत्रीकरण, दिशा निर्देश एवं समन्वय हेतु सरकार ने विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि:–

1. *जिला शहरी विकास अभिकरणों का गठनः–*

राज्य के प्रत्येक जिला में जिला पदाधिकारी/उपायुक्त की अध्यक्षता में एक जिला शहरी विकास अभिकरण का गठन किया जाय जिसके उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उप–विकास आयुक्त होगें। इस अभिकरण का मूल उद्देश्य मुख्यतः निम्नलिखित होगाः

(क) शहरी क्षेत्रों में गरीबों, गैर कृषि श्रमिकों, शिक्षित बेरोजगारों, युवकों, प्रवासी श्रमिकों तथा कारीगरों की पहचान करना।

(ख) अभिज्ञात व्यक्तियों/परिवारों/समूहों के आर्थिक विकास हेतु योजनएं तैयार करना तथा भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर यथापरिभाषित गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों/परिवारों/समूहों की आय में बढ़ोत्तरी के लिए कार्य करना, शहरी गरीबों की जा सके तथा ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

(ग) निम्न आय वाले पास पड़ोस के क्षेत्र के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए जिले के शहरी क्षेत्रों में गन्दी बस्ती तथा सर्वाजनिक भूमि पर बसी बस्ती में रह रहे गरीबों की शहरी बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम/योजनाएं तैयार करना।

(घ) जिले के प्रत्येक शहरी क्षेत्र और पूरे जिले के लिए ऐसी योजनएं तैयार करना कि उनके अभिज्ञात हितकारियों को सहायता देने के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक एवं आर्थिक बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाने के हेतु विकास परियोजनाएं, कार्यक्रम एवं योजनाएं अन्तर्विष्ट हों।

(ड.) शहरी क्षेत्र के गरीबों के लिए चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों की क्रियाशीलताओं एवं उनके कार्यान्वयन की प्रगति एवं उनकी प्रभावकारिता की समीक्षा करना।

यह अभिकरण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत निबंधित सोसाईटी के रूप में कार्य करेगी एवं इसमें जिलों के पदाधिकारियों के अलावे जिला के शहरों में रहने वाले राज्य सभा के सदस्य, जिला के शहरों में पड़ने वाले लोक सभा क्षेत्र के सांसद, जिला के किसी शहरों में रहने वाले विधान परिषद के सदस्य तथा जिला के शहरों में पड़ने वाले विधान सभा के क्षेत्र के विधायक, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि, स्थानीय निकायों के सदस्य एवं अधिकारी एवं अन्य अभिरूचि रखने वाले व्यक्ति आदि सदस्य हो सकेगें।

2. *जिला विकास अभिकरणें के कर्मियों की व्यवस्था :*

जिला शहरी विकास अभिकरणों में कार्य करने हेतु तत्काल प्रत्येक जिला में उपलबध अपर समाहर्त्ता/उप समाहर्त्ता में से किसी एक पदाधिकारी को सचिव–सह–परियोजना पदाधिकारी नियुक्त किया जायेगा, जो अपने मूल कार्य के अतिरिक्त जिला शहरी विकास अभिकरण के सचिवालय का कार्य भी देखेंगे। इसके अलावे जिला में उपलब्ध उद्योग प्रसार पदाधिकारी, कल्याण पर्यवेक्षक, श्रम पर्येवेक्षक, सांख्यिकी पर्येवेक्षक, किसी अभियंत्रण विभाग का कनीय अभियंता, सहकारिता पर्यवेक्षक, श्रमिक कल्याण पर्यवेक्षक, सर्किल इन्सपेक्टर, कानूनगो में से चार पदाधिकारियों से सहायक परियोजना पदाधिकारी के रूप में अपने कार्य के अतिरिक्त कार्य लिया जायेगा। जिला पदाधिकारी के अधीन उपलब्ध एक लेखापाल–सह–रोकड़पाल, एक आशुटंकक, चार टंकक–सह–लिपिक एवं एक पिउन सह चौकीदार से भी अपने कार्यों के अतिरिक्त शहरी विकास अभिकरण का कार्य लिया जाएगा। इस अतिरिक्त कार्य के लिए अभिकरण द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित समुचित मानदेय दिया जायेगा।

(ख) बिहार शहरी विकास अभिकरण का गठन :

राज्य स्तर पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक बिहार शहरी विकास अभिकरण का गठन किया जाय, जिसके उपाध्यक्ष, सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना होगें। नगर विकास विभाग में शहरी गरीबी से संबंधित कार्य देखने वाले निदेशक स्तर के पदाधिकारी इस अभिकरण के सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे। राज्य के विभिन्न विभाग के पदाधिकारी, स्थानीय निकायों के कुछ प्रतिनिधि, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि, यूनिसेफ के प्रतिनिधि, भारत सरकार के पदाधिकारी एवं अभिरूचि रखने वाले अन्य व्यक्ति आदि सदस्य हो सकेंगे। इस अभिकरण का उद्देश्य मुख्यतः निम्नलिखित होगा :–

(क) बिहार में शहरी निर्धनता के उपशमन के लिए विभिन्न नीति विकल्प सृजित और राज्य सरकार को सुझाना।

(ख) बिहार के नगर –क्षेत्रों के अन्तर्गत नगर के गरीबों, कृषि भिन्न श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, शिक्षित बेरोजगारों और कारीगरों की पहचान के लिए मार्गदर्शिका तैयार करने के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श देना।

(ग) बिहार के नगर- क्षेत्रों अथवा उन क्षेत्रों के परिवेश में रहने वाले हिताधिकरियों, जिनकी इस रूप में पहचान हो चुकी है, के आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण संबंधी सुधारों के लिए राज्य सरकार को विभिन्न योजनाएं एवं स्कीमें अनुशंसित करना।

(घ) जिला शहरी विकास अभिकरणों, स्थानीय निकायों और ऐसी अन्य एजेंसियों, जिन्हें अभिज्ञात हिताधिकारियों के लाभार्थ बनी स्कीमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारियां सौंपी गई है, द्वारा अपने जिम्मे

ली गई स्कीमों के कार्यान्वयन की पॉलिसी के जरिए राज्य की जिला नगर विकास एजेंसियों (ज0न0वि0ए0) के उचित कार्य संचालन में सहायता प्रदान करना।

(ङ.) योजनाओं और स्कीमों को तैयार करने में तथा स्कीमों के कार्यान्वयन में जिला नगर विकास एजेंसियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य एजेंसियों को परामर्श देना।

(च) शहरी निर्धनता के उपशमन के लिए बनी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए तथा नगर–क्षेत्रों में शहरी बुनियादी सेवाओं और पर्यावरण संबंधी, सुधार की व्यवस्था करने के लिए जिला नगर विकास एजेंसियों (जि0न0वि0ए0) को भारत सरकार, राज्य सरकार, अनुसूचित बैंको, वित्त–संस्थाओं एवं अन्य स्त्रोंतों से निधियाँ उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त करना।

4. *शहरी गरीबी निवारण निदेशालय की स्थापना।*

(क) नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत रिक्शा चालक कल्याण परियोजना निदेशालय को संकल्प निर्गत होने की तिथि से अवक्रमित कर शहरी गरीबी निवारण निदेशालय का सृजन किया जाय तथा रिक्शा चालक कल्याण परियोजना निदेशालय के लिए सृजित निम्नलिखित पदों को नवसृजित शहरी गरीबी निवारण निदेशालय में उन्हीं सेवा शर्तो के साथ समायोजित किया जाय, जिन सेवा शर्तो के साथ उनकी नियुक्ति रिक्शा चालक कल्याण परियोजना निदेशालय में हुई थी:–

1	निदेशक (वरीय वेतनमान के अपर समाहर्त्ता)	1 पद
2	उप–निदेशक (कनीय प्रवर कोटि के उप समाहर्त्ता)	4 पद
3	प्रशाखा पदाधिकारी	1 पद
4	सहायक	6 पद
5	टंकक	2 पद
6	दिनचर्या लिपिक	2 पद
7	आदेशपाल	2 पद
8	चपरासी	2 पद
9	कार चालक	1 पद
10	रात्रि प्रहरी	1 पद

(ख) तत्कालीन रिक्शा चालक कल्याण परियोजना निदेशालय के अधीन उप–निदेशक के चार पद विभिन्न क्षेत्रों के लिए सृजित था, किन्तु अब जब नेहरू रोजगार योजना जैसे स्वनियोजन योजना जिसमें रिक्शा चालकों को भी सहायता दी जा सकती है, का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण तथा विभिन्न स्थानीय निकायों के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है तो उप–निदेशक के पदों को क्षेत्रों में रखने की आवश्यकता नहीं है। उप–निदेशक के इन चार पदों को मुख्यालय में ही रहकर तथा विभिन्न कार्य आवंटित कर नेहरू रोजगार योजना तथा अन्य शहरी गरीबी निवारण योजनाओं के मोनिटरींग एवं मार्गदर्शन देने के लिए इन पदों को व्यवहार में लाया जाय।

(ग) चूंकि शहरी गरीबी निवारण कार्यक्रम अष्ठम पंचवर्षीय योजना काल में चालू रहेगा, इन पदों का अवधि अष्ठम पंचवर्षीय परियोजना काल तक के लिए विस्तारित रहेगा।

(घ) शहरी गरीबी निवारण निदेशालय, अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार शहरी विकास अभिकरण के लिए सचिवालय स्तर का भी कार्य करेगा, जिससे बिहार शहरी विकास अभिकरण के लिए अलग से पद सृजन की आवश्यकता तत्काल नही होगी।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी अतिरिक्त प्रतियां सभी जिलों को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(सी0के0बसु)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–51 /न0वि0वि0 /पटना, दिनांक–15 मार्च, 1991ई0

प्रतिलिपिः– सकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त सभी/ जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/महालेखाकर, बिहार, पटना, राँची/सभी कोषागार, पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्कय कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

(सी0के0बसु)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–51 /न0वि0वि0 /पटना, दिनांक–15 मार्च, 1991ई0

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 2000 (दो हजार) मुद्रित प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

ह0/–

(सी0के0बसु)

सरकार के सचिव